निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1935 (श0)

(सं0 पटना 566) पटना, मंगलवार, 16 जुलाई 2013

पत्रांक नि0वि0/स्था0–203/2012–3538 अनु0

निगरानी विभाग

सूचना भवन, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 12 जुलाई 2013

विषय :– निगरानी विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ विशेष निगरानी इकाई को सशक्त एवं इसके अनुसंधान कार्य क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा–निवृत्त पुलिस अधीक्षकों को संविदा के आधार पर नियोजित करने एवं अन्य सुविधाएँ की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

2. राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिवद्ध है। सरकार के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में व्यापक सार्वजनिक निवेश किया जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का अपेक्षित लाभ लक्षित वर्ग को पहुंचानें के लिए लोक प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त रखना आवश्यक है। राज्य सरकार के सुशासन के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध ''जीरो टॉलरेन्स'' की नीति अपनायी गयी है। इस संदर्भ में निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रयास तेज किये गये है। सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय विशेष निगरानी इकाई का विभागीय पत्रांक 3529, दिनांक 11.09.06 के द्वारा गठन किया गया। वर्तमान में इस इकाई को और सशक्त बनाने एवं इनकी अनुसंधान की कार्य क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता महसूस की गई है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात् बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग नियमावली, 2012 बनायी गयी है जिसमें प्रावधानित है कि विशेष निगरानी इकाई के लिए पुलिस अधीक्षक के 6 (छः) पद प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा गृह (पुलिस) विभाग अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा–निवृत पुलिस पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर पुर्ननियोजन द्वारा भरे जायेगें।

3. इस संदर्भ में दिनांक 26.02.2013 को एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें विचार–विमर्श के क्रम में ऐसा महसूस किया गया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सेवा–निवृत पदाधिकारियो को एक आकर्षक पैकेज दिया जाय तथा उनकी सेवा शर्त्तो में परिवर्त्तन की जाय, जिससे उनकी सेवा प्राप्त हो सके ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाने में उनका सहयोग मिल सके।

4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सेवा–निवृत्त पुलिस अधीक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए सेवा शर्त्तो में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :–

(क) समेकित वेतन

क्र०	**पदनाम**	**संबंधित विभाग जिनके पदाधिकारी से पद भरे जायेगें।**	**अनुबंध अन्तर्गत समेकित वेतन प्रतिमाह (रूपये में)**
1	पुलिस अधीक्षक	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा–निवृत्त।	₹ 70000/-

(ख) पदाधिकारियों के कार्यालय एवं अन्य सुविधाएँ

1	वाहन (भाड़े पर)	बिहार राज्य पर्यटन निगम से	₹ 35000/- प्रति वाहन प्रतिमाह की दर से (ईंधन एवं भाड़ा सहित)
2	आवास एवं कार्यालय की सुविधा।	आवास सरकारी/निजी	₹ 12000/- प्रतिमाह
3	मोबाईल फोन पर (रिचार्ज) व्यय की प्रतिपूर्ति	–	₹ 1000/-

(ग) सेवा शर्त

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा–निवृत्त पुलिस अधीक्षकों के चयन प्रथम तीन वर्षो की होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा 68 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो के समीक्षोपरान्त की जा सकेगी। कार्य संतोषजनक नहीं होने पर एक माह की नोटिस पर कभी भी सेवा मुक्त किया जा सकेगा।

5. संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों के वेतनादि एवं अन्य मद में होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी परिशिष्ट–1 में दी गयी है। अनुमानित व्यय की कुल राशि ₹ 84,96,000/–(चौरासी लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र है (प्रति संलग्न)।

6. इस वित्तीय भार का वहन मुख्य शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, लघु शीर्ष–104–सतर्कता, उप–शीर्ष–0004–अनुसंधान ब्यूरो, विपत्र कोड– N–2070001040004 मांग सं०–07–बजट शीर्ष से होगा।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. राज्य सरकार का आदेश प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर0 एन0 तिवारी,
सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट–1
वार्षिक व्यय विवरणी

1	**पुलिस अधीक्षक (संविदा पर)**	**70,000X12X6**	**50,40,000.00**
2	**वाहन (भाड़े पर) बिहार राज्य पर्यटन निगम से**	**35,000X12X6**	**25,20,000.00**
3	**आवास एवं कार्यालय की सुविधा**	**12,000X12X6**	**8,64,000.00**
4	**मोबाईल फोन की प्रतिपूर्त्ति**	**1000X12X6**	**72,000.00**
		कुल योग :–	**84,96,000.00**

(चौरासी लाख छियानवें हजार रूपये मात्र)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर0 एन0 तिवारी,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 566-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in